

29/5 1903/4 डि. क्र. 3 की

है। मजदूरी पर करीब डि. क्र.

पेरा दुई को काम के लिए
स्वीकार की जाती है पूर्व में जारी

7/10

स्वीकृति का उत्तर देकर
हुआ। उत्तर का व्यवहार किया

जाया जिसमें यह उक्ति है कि

जावाहन राजकार्य से बाहर जाने के

कारण तारीफ करवाने में

असमर्थ होने से तारीफ कागजात

पर राजकार्य व्यवहार होने की report
की गई थी। इस संबंध में एक

पत्र 21 वे 14 को निरवधारित

सूचित किया जावे की 21/10

मिशन द्वारा तारीफ के संबंध

के निरंतर स्थिति बरती जा

रही है, उत्तर 21/10/14

कार्यवाही का बस व्यवहार

को सूचित करें। जावाहन

1, 5, 6, 8 को जारी लावे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में जा
E-जारी	13, 14, 15 को B/C 10000 - से तलब किया जा तलील जारी SP कर दिया जा तथा तलील ले जा रीत 100 की की किया जा (परा) वाले र/हले दि 07/10/25 की देखा हो अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 ककड़ी, जिला-अजमेर (राज.)	07.10.2